रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2010/श्रावण 15, 1932

No. 224] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2010/SHRAVANA 15, 1932

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2010

सं. ओ आई-11014/1/2010-डी.एस.—भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान को प्रशासित करने वाले विनियमों में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :-

अधिक्रमण की गई विगत अधिसूचनाओं की सूची

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	1/5/2002–पब्लिक	15.11.2002
2.	ओआई–11014/5/2006–डीएस	26.05.2006
3.	ओआई–11014/1/2007–डीएस	24.09.2007
4.	ओआई–11014/1/2007–डीएस	16.07.2008

1. इस पुरस्कार का नाम "प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार" होगा।

2. ये पुरस्कार उन अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों अथवा अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के संगठन/संस्था को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने निम्नलिखित में से किसी एक में उल्लेखनीय योगदान किया है:–

(क) विदेशों में भारत के बारे में बेहतर दृष्टिकोण

(ख) भारत के हितों और सरोकारों के प्रति वास्तविक रूप में सहयोग;

(ग) भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय और उनके निवास के देश के बीच घनिष्ट संबंध बनाना;

(घ) भारत अथवा विदेशों में सामाजिक और मानवीय सरोकार;

(ङ) स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण;

(च) लोकोपकारी और धर्मार्थ कार्य;

(छ) अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता अथवा उल्लेखनीय कार्य जिससे उस व्यक्ति के निवास के देश में भारत का सम्मान बढ़ा हो;

(ज) कौशल में श्रेष्ठता जिससे उस देश में भारत का सम्मान बढ़ा हो (गैर–व्यावसायिक कामगारों के लिए)।

3. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार स्थापित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने के बारे में विचार किया जाता रहेगा। पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए भी पात्र होंगे।

4. प्रति वर्ष पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पन्द्रह (15) होगी।

5. इस पुरस्कार में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी द्विभाषी प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त एक प्रंशसात्मक उल्लेख, एक स्वर्ण पदक और स्वर्ण पदक का एक लघु रूप दिया जाएगा।

6. सनद को 24"x18" के आकार के हस्तनिर्मित कागज पर छापा जाएगा।

7. स्वर्ण पदक 22 केरट के 90 ग्राम सोने का गोलाकार में बना 2.5 एमएम मोटा और 60 एमएम व्यास का होगा। इसके अन्दर 30 एमएम के वृत्त के अन्दर प्रवासी भारतीय दिवस का चिन्ह निक्षारित होगा। मेडल के सामने की ओर बाहरी वृत्त में मीनाकारी होगी। पीछे की ओर, मध्य में राष्ट्रीय चिन्ह के साथ पुरस्कृत व्यक्ति का नाम और पुरस्कार का नाम गुदा होगा।

8. स्वर्ण पदक को गर्दन में पहनाया जाएगा जिसके लिए 1 इंच चौड़ा तिरंगा रिबन होगा।

9. स्वर्ण पदक का एक लघु रूप, आयताकार, जिसके मध्य में प्रवासी भारतीय दिवस का चिन्ह गुदा होगा और दोनों ओर मीनाकारी होगी जिसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा कुछेक अवसरों पर पहना जा सकता है, जो लेपल पिन पर जड़ा होगा। यह 22 केरट के 10 ग्राम सोने से बना होगा।

10. ये पुरस्कार यथासंभव प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस पर 09 जनवरी को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

11. ये पुरस्कार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री, इनमें से जो भी उपलब्ध हो, द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

12. सुयोग्य व्यक्तियों संगठनों अथवा संस्थाओं का नामांकन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :—

- भारत के राज्यों के राज्यपाल और संघ–शासित क्षेत्रों के उप राज्यपाल।
- विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुख/भारतीय राजनयिक पोस्ट के प्रमुख।
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्य।
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्णय लिये गए अनुसार राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप वाली प्रमुख प्रवासी भारतीय संगठनों के कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसे संगठन अपने अधिकारियों का नामांकन नहीं करेंगे।
- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के विगत प्राप्तकर्ता।

13. जूरी–एवं–पुरस्कार समिति द्वारा स्वतः कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।

14. जूरी–एवं–पुरस्कार समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति नामांकनों के पूर्ण होने की दृष्टि से जांच करेगी और प्रत्येक नामित के बारे में लघु लेख लिखेगी।

15. नामाकनों और लघु लेखों को जूरी–एवं–पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जूरी–एवं–पुरस्कार समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

- भारत के उपराष्ट्रपति – अध्यक्ष
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री – उपाध्यक्ष
- प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव – सदस्य
- गृह सचिव – सदस्य
- विदेश सचिव – सदस्य
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने वाले पांच सदस्य
- सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय – सदस्य सचिव

16. जूरी–एवं–पुरस्कार समिति की सिफारिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

17. जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके नाम पुरस्कार दिए जाने वाले दिन से पूर्व दिन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

18. ये पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिए जाएंगे सिवाय ऐसे बिरले मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा से पहले एक वर्ष के दौरान हुई हो।

19. पुरस्कार प्राप्तकर्ता के संबंध में बाद में कोई प्रतिकूल जानकारी प्रकाश में आने पर राष्ट्रपति पुरस्कार को रद्द/निष्प्रभावी कर सकते हैं।

जी. गुरूचरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2010

No. OI-11014/1/2010-D.S.—In supersession of the notifications of the Government of India listed below, the President is pleased to revise the regulations governing the Pravasi Bharatiya Samman Awards as follows :—

List of previous notifications superseded		
Sl. No.	Number of Notification	Date
1.	1/5/2002-Public	15.11.2002
2.	OI-11014/5/2006-DS	26.05.2006
3.	No.OI-11014/1/2007-DS	24.09.2007
4.	No.OI-11014/1/2007-DS	16.07.2008

1. The Award shall be known as "*Pravasi Bharatiya Samman* Award".

2. The Award shall be conferred on a Non-Resident Indian, Person of Indian Origin or an organization or institution established and run by Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin, who has made significant contribution in any one of the following fields:

(a) Better understanding abroad of India;
(b) Support to India's causes and concerns in a tangible way;
(c) Building closer links between India, the overseas Indian community and their country of residence;
(d) Social and humanitarian causes in India or abroad;
(e) Welfare of the local Indian community;
(f) Philanthropic and charitable work;
(g) Eminence in one's field or outstanding work, which has enhanced India's prestige in the country of residence; or
(h) Eminence in skills which has enhanced India's prestige in that country (for non-professional workers).

3. With the institution of Pravasi Bharatiya Samman Awards, Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin shall continue to be considered for Padma Awards and Padma Awardees shall be eligible for Pravasi Bharatiya Samman Award.

4. The maximum number of Awards each year shall be fifteen (15).

5. The Award shall carry a bilingual *Sanad* under the hand and the seal of the President of India in addition to a citation, a gold medallion and a miniature of the medallion in the form of a lapel pin.

6. The *Sanad* would be printed in hand made paper of size 24" x 18".

7. The medallion would be circular in shape, 2.5 mm in thickness and of diameter 60 mm, made from 90 grams of 22 carat gold. The logo of Pravasi Bharatiya Divas (PBD) would be etched into the inner circle of 30 mm diameter. The front side of the medallion would have *minakari* work etched in the outer circle. The backside of the medallion would have the National emblem in the middle, with the name of the awardee and the name of the award, engraved around it.

8. The medal would be worn around the neck by a tricolour ribbon of one inch in width.

9. A miniature of the medallion, in rectangular shape with the PBD logo engraved in the middle, and with *minakari* work on both sides, which may be worn on certain occasions by recipients, would be mounted on a lapel-pin. It would be made from 10 grams of 22 carat gold.

10. The Awards shall be presented at a formal ceremony to be organised by the Ministry of Overseas Indian Affairs, as far as possible, at the Pravasi Bharatiya Divas on 9th January every year.

11. The awards shall be presented either by the President, Vice-President or Prime Minister, depending upon the availability of these dignitaries.

12. The nominations of deserving persons, organizations or institutions shall be made by one of the following:

- Governors of States and Lt. Governors of Union Territories in India.
- Heads of Indian Diplomatic Missions/ Heads of Indian Diplomatic Posts abroad.
- Chairman and Members of the Parliamentary Standing Committee dealing with the Ministry of Overseas Indian Affairs.
- The Executive Head of Prominent Overseas Indian Associations with nation-wide character as may be decided by the Ministry of Overseas Indian Affairs. The associations should not nominate their own office bearers.
- Previous awardees of Pravasi Bharatiya Samman Award.

13. There shall be no *suo moto* nomination by the Jury-cum-Awards Committee.

14. A Committee of Officers constituted by the Ministry of Overseas Indian Affairs shall examine the nominations received with a view to ensure their completeness and draw up a short citation on each nominees to facilitate the work of the Jury-cum-Awards Committee.

15. The nominations and citations shall be placed before the Jury-cum-Awards Committee comprising of :

(a) Vice President of India – Chairman
(b) Minister of Overseas Indian Affairs – Vice-Chairman
(c) Principal Secretary to the Prime Minister – Member
(d) Home Secretary – Member
(e) Foreign Secretary – Member
(f) Five members to be nominated by the Prime Minister
(g) Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs – Member-Secretary.

16. The recommendation of the Jury-cum-Awards Committee shall be submitted to the Prime Minister and President for approval.

17. The names of the persons, upon whom the award is conferred, shall be published in the Gazette of India prior to the day of presentation of the awards.

18. The Awards shall not be given posthumously except in very rare cases where the person had died within a year preceding the announcement of the awards.

19. The President may cancel and annul an Award in the event of any adverse information on the awardees coming to light subsequently.

G. GURUCHARAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.